(61)

समक्ष मे मान्नीय न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

प्र0क्र0 नि -2291 - I 16

छोटू राजा
तनय राजबहादुर सिंह
निवासी–किशनगढ़,
तहसील–बिजावर, जिला–छतरपुर (म0प्र0) ....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन
अनुविभागीय अधिकारी बिजावर
जिला–छतरपुर (म0प्र0) ....उत्तरवादी

अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा संहिता की धारा 247(7) अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.05.2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन धारा 50 अन्तर्गत

मान्नीय महोदय अनुविभागीय अधिकारी तहसील–बिजावर, जिला–छतरपुर द्वारा रेत खनिज के भण्डारण (डम्प) प्रकरण क्रमांक 77/बी–121/2014–15 मे संहिता की धारा 247(7) अन्तर्गत कार्यवाही कर दिनांक 25.05.2016 को आवेदक पर आरोपित अर्थदण्ड 2,40,000/– एवं अर्थदण्ड से अतिरिक्त 12,000/– रायल्टी के पारित आदेश **परिशिष्ट–एक** के विरूद्ध आवेदक मान्नीय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन निम्न आधार पर प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि :–

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

क) यह कि महोदय आवेदक के विरूद्ध तहसीलदार बिजावर द्वारा दिनांक 02.09.2015 को राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरा एवं हल्का पटवारी किशुनगढ तथा किशुनगढ पुलिस की उपस्थिति मे ग्राम किशुनगढ स्थित पैट्रोल पम्प के बगल मे रखी हुई (डम्प) रेत को 40 ट्राली मानकर आवेदक की अनुपस्थिति में ग्राम सरपंच महेन्द्र राय निवासी–किशुनगढ की सुपुर्दगी मे दी गई। तहसीलदार के प्रतिवेदन की प्रति **परिशिष्ट "दो"** संलग्न है।

ख) यह कि महोदय दिनांक 03.09.2015 को तहसीलदार बिजावर द्वारा आवेदक के पिता श्री राजबहादुर सिंह को कार्यालय मे बुलाकर समक्ष मे कथन लिए गये। आवेदक के पिता ने अपने कथन में लेख कराया कि उसके पुत्र छोटू राजा ने स्वयं के ढावा निर्माण हेतु रेत जिला–टीकमगढ की धसान नदी मे संचालित रेत खदानो से जरिये अभिवहन पास क्रय कर रखी है। रेत क्रय संबंधी अभिवहन पास भी तहसीलदार को प्रस्तुत किये गयें। आवेदक के पिता श्री राजबहादुर सिंह के कथन की प्रति **परिशिष्ट "तीन"** संलग्न है।

ग) यह कि महोदय अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा तहसीलदार बिजावर से प्राप्त अवैध रेत खनिज भण्डारण (डम्प) प्रतिवेदन आधार पर खनिज अधिकारी छतरपुर से

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2291-एक/2016 जिला छतरपुर छोटू राजा विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 77/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25-05-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-07-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने कें ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

13/2/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 11-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 13/02/19
सदस्य